संख्या-127/2024/I/733532/2024/71-1099(099)/26/2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 09 सितम्बर, 2024**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्र सहायतित योजनान्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, पीलीभीत में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/निर्माण/2024-25/86, दिनांक 04.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्र सहायतित योजनान्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, पीलीभीत में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु रू0 1000.00 लाख का आगणन उपलब्ध कराते हुए पी0एफ0ए0डी0 से मूल्यांकित कराने एवं प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार किये जाने का अनुरोध किया गया।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-जेड-16015/2/2023-एन, दिनांक 28.04.2023 द्वारा केन्द्र सहायतित योजना "Establishment of new medical colleges attached with existing District/Referral hospitals" के अंतर्गत उ0प्र0 प्रदेश के 27 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में "Scheme for Augmenting Nursing Education-Establishment of new College of Nursing (CoN) in co-location with Medical College" के अंतर्गत नर्सिंग कालेज की स्थापना का निर्णय लिया गया। उक्त योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रति नर्सिंग कालेज की लागत रू0 10.00 करोड़ निर्धारित की गयी है, जिसका फण्डिग पैटर्न 60:40 (केन्द्रांश+राज्यांश) है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत **स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, पीलीभीत** में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित लागत रू0 930.03 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत् पूँजीपक्ष में लेखाशीर्षक 4210-03-105-01-28-राजकीय मेडिकल कालेज/स्वायत्तशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज (के.60/रा.40-के.) के मानक मद 24- वृहत निर्माण कार्य में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष उक्त परियोजना हेतु प्रथम किश्त के रूप में **रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र)** की धनराशि केन्द्रांश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के रूप में किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से एस0एन0ए0 खाते में हस्तांतरित की जायेगी।
2. प्रयोजनान्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाए।
4. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत् मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं एवं उच्च विशिष्टियों को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का होगा।
5. प्रायोजनानतर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य की गयी है। कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 अलग से सम्मिलित न हो।
6. प्रायोजनान्तर्गत नर्सिंग काउन्सिल आफ इण्डिया की गाइड लाइन का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
7. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत फायर फाइटिंग सम्बन्धी कार्य नेशनल बि़ल्डिग कोड के अनुरूप है।
8. प्रायोजनान्तर्गत 5624.26 घन मीटर मिट्टी भराई हेतु रू0 28.69 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/77, दिनांक 22.03.2021 के प्रस्तर-2 में दिये गये निर्देशानुसार मिट्टी भराई हेतु निर्माण स्थल के कन्टूर प्लान के साथ-साथ थ्री डाइमेंशनल मेजरमेंट सहित ड्रोन इमेज व जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की रिपोर्ट उपलब्ध न होने के कारण मिट्टी भराई मद में फिलहाल रू0 1.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक धनराशि देय होगी।
9. प्रायोजना का विस्तृत आगणन (डी0पी0आर0) की दरें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 10.10.2023 एंव 26.10.2023 द्वारा डी0एस0आर0 की दरों में फैक्टर/कास्ट इंडेक्स का समावेश किये जाने एवं कतिपय कार्यमदें वर्तमान बाजार भाव की दरों के विश्लेषण के आधार पर ली गयी है। बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10.प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विद्युत कनेक्शन हेतु रू0 5.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है, जिसके सापेक्ष प्रभाग द्वारा रू0 4.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा विस्तृत आगणन यू0पी0पी0सी0एल0 के सक्षम स्तर से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जाय। उक्त अनुमन्य धनराशि एवं वास्तविक धनराशि में कोई अंतर आता है तो वास्तविक धनराशि ही अनुमन्य धनराशि मानी जायेगी तथा प्रायोजना इस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी। प्रायोजना के पुन: पी0एफ0ए0डी0 से परीक्षण कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

11.प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए जिससे टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाए।

12.प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विशिष्टियों एंव प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्य के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि तथा उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

13.प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एंव भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

14.प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

15.प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

16.कार्य की गुणवत्ता , मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।

17.स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा , जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

18.अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

19.प्रायोजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइड लाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

20.वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2024-दस/294-1-बी/2024/1-2024/231दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050128 राजकीय मेडिकल कालेज /स्वायत्तशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज (के.60/रा.40) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-99/दस-2024-25 दिनांक 20.08.2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या व तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-जेड-16015/2/2023-एन, दिनांक 28.04.2023 के संदर्भ में।
2. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. उप निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-जेड.28015/89/2023-एन, दिनांक 21.08.2023 के संदर्भ में।
4. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, पीलीभीत।
5. निदेशक, यू0पी0 स्टेट कनस्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेण्ट कारपोरेशन लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, पीलीभीत।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पीलीभीत।
9. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in